



अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)

वाद संख्या-320 / 2016-17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
24/11/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704 / रा०, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा-पण्डुवा थाना सं०-275 के गत सर्वे खाता-19 खेसरा-..... अंश रकबा-1.14 ए० से संबन्धित है एवं गैर आबाद खाते की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-18/12/20 को उपस्थापित करें।</p>	
		 24/11/2020 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।
28/11/2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर केवल लगान रशिद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। दावा के समर्थन में अन्य कोई निबन्धित दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक-लिस्ट का गहनतापूर्वक जॉच कर स्पष्ट मन्तव्य की माँग करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 28/11/2021 को उपस्थापित करें।</p>	 28/11/2020 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।
28/11/2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय संकल्प सं०-6144/रा० दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी रद्द करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-पण्डुवा थाना सं०-275 के गत सर्वे खाता-19 खेसरा-..... अंश रकबा-1.14 ए० भूमि की कायम जमाबन्दी सं०-156 संदिग्ध प्रतीत होती है। उक्त गैर आबाद खाते की भूमि का</p>	

दिनांक 1.1.1946 से पुर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-(4H) के तहत जमाबन्दी पंजी-2 में कायम जमाबन्दी सं0-156 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखपित एवं संशोधित

28/1/2021
अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

28/1/2021
अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।